03 / म0स0 / RPWD Act-308/2017- 1204

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,

झारखण्ड, सरकार, राँची

अधिसूचना

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है, अर्थात्:–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**– (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 है।

(ख) इनका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**– (क) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''अधिनियम'' से भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) अभिप्रेत है ;

(ii) ''प्रमाणपत्र'' अधिनियम की धारा 58 के अधीन जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(iii) ''प्रारूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ख) शब्द और पद, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में है।

अध्याय–2

अधिकार और हकदारियां

3. **स्थापना द्वारा दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना**– (1) स्थापना का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) के उपबंधों का, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होने वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए दुरूपयोग नहीं किया जाता है।

(2) यदि सरकारी स्थापना का प्रमुख या कोई प्राइवेट स्थापना, जो बीस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह,–

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा ; या

(ख) व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार अपेक्षित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, दिव्यांगजनों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन को शिकायत प्रस्तुत करता है तो शिकायत का निपटारा साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु आपातकालीन मामलों में राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा शिकायत का यथाशीघ्र निपटारा किया जायेगा।

(4) कोई स्थापना किसी दिव्यांगजन को युक्तियुक्त आवासन उपलब्ध कराने पर उपगत किसी लागत को भागतः या पूर्णतः संदत्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4. **दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य समिति**– (1) दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(i) राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाने वाला विज्ञान या औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में वृहत्त अनुभव रखने वाला एक विख्यात व्यक्ति एवं व्यक्ति के अभाव में विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए अधिकतम अर्हताओं की परिपूर्ति करने वाले व्यक्ति का चयन पदेन अध्यक्ष के रूप में किया जा सकेगा, – पदेन अध्यक्ष ;

(ii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं– सदस्य

(iii) भौतिक, दृश्य, श्रव्य और बौद्धिक दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजकीयकृत/मान्यता प्राप्त संस्थानों से चार व्यक्ति, जिनको राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा– सदस्य ;

(iv) राज्यकृत संगठनों से प्रतिनिधि के रूप में पांच व्यक्ति, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनको राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा– सदस्य :

परंतु पंजीकृत संगठनों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी ;

(v) निदेशक, समाज कल्याण /नोडल पदाधिकारी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, जो कि सदस्य–सचिव होगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

(3) नामांकित सदस्यों की पदावधि, उस तिथि से, तीन वर्षो की होगी जिस तिथि से वह अपना पद धारण करते हैं, एवं निरंतर भागीदारी एवं सर्वांगिण योगदान के आधार पर पुनः उनका चयन किया जा सकेगा।

(4) आधे सदस्य बैठकों की गणपूर्ति करेंगे।

(5) गैर–शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य राज्य सरकार के समूह "क" पदाधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(6) राज्य सरकार समिति को आवश्यकतानुसार लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृंद्ध उपलब्ध कराएगी, जैसा राज्य सरकार आवश्यक समझे।

5. **दिव्यांगजन को अनुसंधान का एक विषय नहीं समझा जाना**– कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नही होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उनके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

6. **कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया**– अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से धारा 143 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

अध्याय– 3

जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी

7. **जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी**– दिव्यांग बालकों के नामांकन से संबंधित सभी मामलों से और अधिनियम की धारा 16 और 31 के निबंधनों में विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से निपटने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में एक नोडल अधिकारी होगा।

अध्याय– 4

नियोजन

8. **समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति**– (1) प्रत्येक स्थापना दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।

(2) समान अवसर नीति का स्थापनाओं द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उनके परिसरों में सहज दृश्य स्थान पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा।

(3) 20 कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले निजी और सरकारी स्थापनाओं, सचिवालय/निदेशालयों एवं कार्यालयों के लिए समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:–

(i) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसुविधाएं ताकि वह स्थापनाओं में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें ;

(ii) स्थापनाओं में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित समुचित पदों की सूची ;

(iii) विभिन्न पदों पर दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्ती–पश्चात् और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण स्थानांतरण और पदस्थापन में अधिमानतः विशेष छुट्टी; सरकारी आवासों के आवंटन में अनिवार्य रूप से प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिव्यांगता का प्रतिशत को ध्यान रख कर सुगम्य आवासो का प्रथम अधिमानता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) सहायक युक्तियों, बाधा मुक्त/सुगम्य तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध ;

(v) दिव्यांगजनों की भर्ती की देखरेख के लिए स्थापना में लायजन अधिकारी की नियुक्ति तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपबंध।

(vi) दिव्यांगता से संबंधित सभी विभागों जो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं जो प्रशिक्षण/शोध/जागरूकता/कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य जो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिये अपरिहार्य है। इसका समन्वय महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत निःशक्तता कोषांग या निदेशालय के द्वारा किया जाएगा।

(4) 20 से कम कर्मचारियों वाले स्थापनाओं में समान अवसर नीति में, अन्य बातों के साथ, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अंतर्विष्ट होंगी ताकि वह स्थापना में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

(i) राज्य सरकार के अंतर्गत हो रहे किसी भी प्रकार का भवन निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं को बाधामुक्त/सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे।

(ii) संबंधित विभाग इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट सुगम्य मानकों को संबंधित डोमेन विनियमों या अन्य के माध्यम से लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) सुगम्य मानकों की समीक्षा– राज्य सरकार समय–समय पर संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित सुगम्य मानकों का नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी के आधार पर समीक्षा करेगी।

(iv) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा अन्य सेवी वर्ग को दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर सुगम्य एवं बाधारहित आवास एवं कार्यालय कक्ष प्राथमिक्ता के साथ तथा सुगम्यता के आलोक में उपलब्ध कराया जायेगा।

9. **स्थापनाओं में अभिलेखों को रखे जाने का प्रारूप और रीति**– (1) नियम 8 में उपनियम (3) के अधीन आने वाला प्रत्येक स्थापना निम्नलिखित विशिष्टियों को अतंर्विष्ट करने वाले अभिलेख रखेगा, अर्थात् :–

(i) दिव्यांगजनों की संख्या, जो नियोजित हैं तथा वह तिथि जिससे वे नियोजित है ;

(ii) ऐसे नियोजित व्यक्तियों का नाम, लिंग और पता ;

(iii) ऐसे नियोजित व्यक्तियों की दिव्यांगता का प्रकार ;

(iv) ऐसे नियोजित दिव्यांगजनों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ; और

(v) ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली दिव्यांगता का प्रकार।

(2) प्रत्येक स्थापना द्वारा मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसी सूचना प्रदान की जायेगी, जो यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है।

10. **सरकारी स्थापनाओं द्वारा शिकायत पंजीयों को रखे जाने की रीति**– (1) प्रत्येक सरकारी स्थापना राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करेगा :

परंतु जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापना द्वारा वरीष्ठतम अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

(2) शिकायत निपटान अधिकारी शिकायतों का एक पंजी रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ उपलब्ध होंगी, अर्थात् :–

(क) शिकायत की तिथि ;

(ख) शिकायतकर्ता का नाम ;

(ग) उस व्यक्ति का नाम, जो शिकायत की जाँच कर रहा है ;

(घ) घटना का स्थान ;

(ड़) स्थापना या व्यक्ति का नाम, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है ;

(च) शिकायत का सार;

(छ) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो ;

(ज) शिकायत निपटान अधिकारी द्वारा निपटान की तिथि ;

(झ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निपटान के ब्यौरे ; और

(ञ) कोई अन्य सूचना।

अध्याय– 5

बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां

11. **रिक्तियों की संगणना**– (1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तयों की चार प्रतिशत को राज्य सरकार द्वारा बैंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए गणना में लिया जाएगा।

(2) प्रत्येक सरकारी स्थापना दिव्यांगजनों के लिए कैडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक पद/रिक्ति आधारित रोस्टर रखा जाएगा तथा रिक्तियों को प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक सरकारी स्थापना प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगताओं को प्रदर्शित करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण क्षैतिज होगा और बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा।

12. **रिक्तियों का अंतर–परिवर्तन**– इस अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों में रिक्तियों का अंतर–परिवर्तन केवल तब किया जायेगा जब भर्ती की सम्यक् प्रक्रिया जैसे बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत रिक्तियों को भरने के लिए कम से कम दो बार विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कोई समुचित अभ्यर्थी नहीं पाया गया है।
13. **विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना**– (1) प्रत्येक सरकारी स्थापना विशेष रोजगार नियोजनालय को दिव्यांगजन नियोक्ता विवरणी प्रारूप–1 में प्रत्येक छह मास में 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए एक बार तथा प्रारूप–2 में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(2) छमाही विवरणी को संबंधित तिथि से तीस दिन के भीतर अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) द्विवार्षिक विवरणी को प्रत्येक एकांतर वितीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **प्रारूप, जिसमें नियोक्ता द्वारा अभिलेख रखे जाने हैं**– संलग्न प्रारूप–3 में दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेख प्रत्येक स्थापना द्वारा संधारित किया जायेगा।

अध्याय–6

सुगम्य/बाधामुक्त

15.**निर्धारण के नियम**– (1) प्रत्येक स्थापना निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करेगा– भौतिक पर्यावरण, परिवहन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 में अधिसूचित लोक भवन मानक जैसा कि "हारमोनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्पेश स्टैंडर्डस फार परसन्स विद डिस्सेविल्टीज एंड एल्डरली पर्सन्ज" में विनिर्दिष्ट है मानकों को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि 895(अ) तिथि 20 सितम्बर, 2016 में यथाविनिर्दिष्ट पब्लिक बस परिवहन बाडी कोड मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ;

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

(i) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार वेबसाइट– मार्गदर्शक सिद्धांत ;

(ii) वेबसाइट पर रखेजाने वाले दस्तावेज ePUB या OCR आधारित PDF फार्मेट में होंगे :

परंतु अन्य सेवाओं और प्रसुविधाओं के संबंध में पंहुच मानकों को राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की अवधि में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) संबंधित मंत्रालय और विभाग इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पहुंच मानकों को संबंधित डोमेन विनियमों या अन्यथा के माध्यम से लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

16. सुगम्य मानकों का पुनर्विलोकन–राज्य सरकार समय–समय पर संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचित सुगम्य मानकों का नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी के आधार पर अनिवार्य रूप से पुनर्विलोकन किया जायेगा।

अध्याय– 7

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

17. दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन–

(1) निर्दिष्ट दिव्यांगता वाला कोई भी व्यक्ति किसी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए फार्म I में या तो ऑनलाइन यूनीक डिसेबिलिटी पहचान पोर्टल (www.swavalambancard.gov.in)के माध्यम से आवेदन कर सकता है या ऑफ लाइन आवेदन को जमा कर सकता है–

(i) मुख्य/जिला चिकित्सा पदाधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी आवेदन में निवास के प्रमाण में वर्णित आवेदक के निवास के जिला या प्रखण्ड में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे ;

(ii) यदि दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदक को प्रखण्ड स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों/विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण दिव्यांगता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो उनके आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रखण्ड स्तर के अस्पताल के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर द्वारा आवेदन को जिला स्तर पर भेजा जाएगा।

(iii) दिव्यांगता से प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति बौद्धिक दिव्यांगता या किसी अन्य दिव्यांगता से प्रभावित है या ऐसे आवेदन स्वयं समर्पित करने में असमर्थ है, उनकी ओर से आवेदन अपने नियुक्त सीमित संरक्षक या कानूनी अभिभावक के द्वारा किया जा सकता है।

(2) आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा–

(क) निवास का प्रमाण ;

(ख) हाल ही में पासपोर्ट आकार के दो फोटो जिसमें चेहरा साफ दिखता हो (दिव्यांगता दिखाने की आवश्यकता नहीं है) ; तथा

(ग) आधार नंबर या आधार नामांकन संख्या, यदि कोई हो।

नोट : आवेदक से निवास का कोई और सबूत जरूरी नहीं होगा जिसके पास आधार नामांकन संख्या है।

18. **दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना–**

(1) नियम–17 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, चिकित्सा प्राधिकारी, आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता का मूल्यांकन करेंगे और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक दिव्यांग व्यक्ति है, आवेदन के रूप में प्रपत्र 5, प्रपत्र 6 या प्रपत्र 7 में UID पोर्टल के माध्यम से उसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(2) ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य अनुप्रयोगों के लिए, चिकित्सा प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन ऑनलाइन मोड में परिवर्तित हो जाएगा और उप–नियम (1) के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्राधिकारण द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर जारी किया जाएगा।

(4) केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार चिकित्सा प्राधिकरण, परीक्षा के बाद–

i) ऐसे मामलों में स्थायी अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करें जहां दिव्यांगता की डिग्री में समय के साथ भिन्नता की कोई संभावना नहीं है ; या

ii) एक अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र दें और प्रमाण पत्र में बैधता की अवधि बताएं, जहां दिव्यांगता की डिग्री में समय के साथ भिन्नता का कोई मौका है।

iii) यदि कोई आवेदक दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो चिकित्सा प्राधिकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रपत्र–8 के तहत लिखित रूप में उसे कारण बताएगा।

iv) यदि किसी जिले में डॉक्टर/विशेषज्ञ सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है तो संबंधित डॉक्टरों/विशेषज्ञों के साथ कम से कम तीन महीने में एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल्यांकन शिविर आयेजित किया जाएगा जिसमें पास के जिले के महाविद्यालयों के विशेषज्ञ/डॉक्टरों को संबंधित जिले में आमंत्रित कराना सुनिश्चित होगा।

19. **दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील :**

(क) प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति निर्णय की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 59 की उप–धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित तरीके से स्वीकार करेंगे :–

(i) अपील में संक्षिप्त पृष्ठभूमि और अपील बनाने के आधार शामिल होंगे।

(ii) अपील प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र या अस्वीकृति के पत्र की एक प्रति के साथ किया जाएगा।

बशर्ते की जहां दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति नाबालिग या किसी दिव्यांगता से पीड़त है, जो उसे अपील करने के लिए अयोग्य बनाता है, उसकी ओर से अपील उसके कानूनी या सीमित संरक्षक द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि मामला हो।

(ख) इस तरह की अपील की प्राप्ति पर, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके बाद तर्कसंगत और विस्तृत उचित आदेश निर्गत करेगा।

(ग) उप–नियम (1) के तहत अपील की गई सभी अपील का निर्णय यथाशीघ्र किया जाएगा और अपील की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के अंदर किया जाएगा।

अध्याय–8

दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड

20 .सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के भत्ते– (1) राज्य में राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को बैठक के वास्तविक दिन के लिए भत्ते का प्रावधान नोडल/प्रशासी विभाग द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड के गैर–शासकीय सदस्यों को, जो रांची में निवास नहीं कर रहे हैं, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो राज्य सरकार के समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय है:

परंतु विधान सभा/संसद सदस्य की दशा में, जो राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य है, को विधान सभा/संसद सदस्य के रूप में अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा। विधान सभा/संसद सत्र में नहीं हो और सदस्य द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसने किसी अन्य स्त्रोत से उसी और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया गया है।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड के शासकीय सदस्यों भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित अभिकरण, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है के सुसंगत नियमों के अधीन इस निमित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने किसी अन्य स्त्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है के अनुरूप किया जाएगा।

21. बैठक की सूचना–(1) दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक साधारणतया रांची में और ऐसी तिथि को, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए, आयोजित की जाएगी :

परंतु यह कि प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी।

(2) अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड की विशेष बैठक का आयोजन राज्य निःशक्त आयुक्त दिव्यांगजन के अनुरोध पर कर सकते है।

(3) सदस्य–सचिव द्वारा सामान्य बैठक के संदर्भ में रखे जाने वाले संव्यवहार/एजेंडा की सूचना सभी सदस्यों को विभाग से अनुमोदनोपरांत एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) सदस्य–सचिव ऐसी सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर पंजीडाक द्वारा या Email द्वारा ऐसी अन्य रीति से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, सूचना देंगे।

(5) कोई भी सदस्य बैठक में विचार के लिए किसी विषय को, जिसकी सदस्य–सचिव द्वारा एक सप्ताह पूर्व स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है, को लाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष ऐसा करने के लिए उसे अनुमति दे।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड दिन–प्रतिदिन या किसी विशिष्ट दिन के लिए अपनी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

(7) जब राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक को किसी दिन के लिए स्थगित किया जाता है तो सदस्य–सचिव ऐसी स्थगित बैठक के समय, जहां बैठक स्थगित की गई थी, यदि आयोजित की गई हो कि संवाहक द्वारा सूचना देगा और स्थगित बैठक की अन्य सदस्यों को सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(8) जब राज्य सलाहकार बोर्ड की किसी दिन के लिए बैठक स्थगित नहीं की जाती है किंतु उस दिन के लिए, जिसको बैठक आयोजित की जानी है, से किसी अन्य दिन के लिए स्थगित की जाती है तो ऐसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उपनियम (4) में यथाउपबंधित रीति में दी जाएगी।

22. पीठासीन अधिकारी– अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा किंतु जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो किसी बैठक में अनुपस्थित हों उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए चयन करेंगे।

23. गणपूर्ति–(1) राज्य सलाहकार बोर्ड के कुल सदस्यों का एक–तिहाई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।

(2) किसी बैठक के लिए नियत समय या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान कुल सदस्यों का एक–तिहाई सदस्यों से कम उपस्थिती हैं तो अध्यक्ष बैठक को ऐस समय के लिए अगामी या किसी भावी तिथि के लिए जैसा कि वह नियत करे, स्थगित कर सकेगा।

(3) स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) कोई विषय, जो यथास्थिति, किसी साधारण या विशेष बैठक का एजेंडा नहीं है, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

24. कार्यवृत्त– (1) सदस्य–सचिव उन सदस्यों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाला अभिलेख रखेंगे, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था तथा बैठक की कार्यवाहियों की पुस्तिका उस प्रयोजन के लिए रखी जाएगी।

(2) पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक पश्चातवर्ती बैठक के प्रारंभ में पढ़ा जाएगा और ऐसी बैठक के अध्यक्ष अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) बैठक का कार्यवाही किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान सदस्य–सचिव के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

25. बैठकों में संव्यवहार/ऐजेण्डा से संबंधित कार्य– सिवाय अध्यक्ष की अनुज्ञा के किसी संव्यवहार को एजेंडा में दर्ज नहीं किया जाएगा या जिसकी सूचना नियम 21 के उपनियम (5) के अधीन सदस्य द्वारा नहीं दी गई है, का किसी बैठक में संव्यवहार नहीं होगा।

26. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए एजेंडा– (1) किसी बैठक में कार्यावली का संव्यवहार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें वह एजेंडा में दर्ज है, सिवाय जब अन्यथा किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुज्ञा के संकल्प न किया गया हो।

(2) या तो बैठक कें प्रारंभ में या बैठक में किसी प्रस्ताव पर चर्चा के समापन पर अध्यक्ष या सदस्य एजेंडा में यथा दर्ज कारबार के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि अध्यक्ष सहमत होता है तो ऐसा परिवर्तन किया जाएगा।

27. बहुमत द्वारा विनिश्चय– समिति की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के समान होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

28. किसी कार्यवाही का रिक्ति या किसी अन्य त्रृटि से अविधिमान्य न होना–राज्य सलाहकार बोर्ड की कोई कार्यवाही बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि के विद्यमान होने के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्याय– 9
दिव्यांगजनों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त

29. राज्य निःशक्तता आयुक्त, दिव्यांगजन की नियुक्ति के लिए योग्यता:– किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के तहत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त, दिव्यांगजन

के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं ठहराया जाएगा (इस अध्याय में जो कि राज्य निःशक्तता आयुक्त संदर्भित किया गया है) जब तक,

i) दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित मामलों के संबंध में उनके पास विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है;

ii) वह वर्ष के 1 जनवरी को साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किये है, जिस वर्ष में राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होती है;

iii) यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पद पर उनकी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति करेंगे; तथा

iv) इनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव है, अर्थात् ;

क. शैक्षणिक योग्यताः–

I. जरूरी : एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;

II. वांछनीय : सामाजिक कार्य या कानून या प्रबंधन या मानवाधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा।

ख. अनुभव :–

समूह 'क' स्तर या समकक्ष पद या निम्नांकित अन्य वर्णित क्षेत्रों में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव :–

I. केंद्र या राज्य सरकार में या

II. लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वायत संस्था जो दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है या

III. दिव्यांग या सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे एक पंजीकृत राज्य या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की क्षमता में काम करता है;

iv. दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम कुल बीस वर्षों का अनुभव।

30. राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त का पद रिक्त होने के कम से कम छह महीने पहले, विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में। नियम 29 में वर्णित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों से पद के लिए आवेदन आमंत्रित की जाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद के लिए तीन उपयुक्त उम्मीदवारों के एक पैनल को अनुशंसा करने का निर्देश दिया जाएगा।

(3) चयन समिति का गठन राज्य सरकार के संबंधित प्रशासी/नोडल विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में उन लोगों को शामिल किया जा सकता हैं जिन्होंने उपयुक्त दिये नियम के आलोक के तहत् किए गए विज्ञापन के विरूद्ध में आवेदन किया है और साथ ही अन्य इच्छुक केन्द्रीय या राज्य सरकार के रोजगार में योग्य व्यक्ति, जिसे समिति उपयुक्त समझती है।

(5) राज्य सरकार, चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से एक अभ्यर्थी को राज्य निःशक्तता आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

(6) नियुक्ति के उपरांत कतिपय कारणवश राज्य निःशक्तता आयुक्त अन्य किसी कारण से पद का त्याग करते है तो अनुशंसित पैनल में से किसी दूसरे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जा सकेगी।

31. **राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यकाल :–**

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त, दिव्यांगजन को तीन वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा सेवा की अवधि विस्तार अधिकतम दो वर्षो तक किया जा सकेगा या जबतक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) कार्यावधि संतोषजनक रहने पर अतिरिक्त कालावधि के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त के रूप में प्रशासी विभाग द्वारा पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जो 60 वर्षों की ऊपरी आयु सीमा के अधीन है।

(3) पूर्व के नियमावली के अंतर्गत नियुक्त राज्य निःशक्तता आयुक्त नयी नियमावली के प्रवृत होने के बाद नये नियमावली के सेवा शर्तो के अनुरूप अधिसूचित माने जायेंगे।

32. **राज्य निःशक्तता आयुक्त का वेतन और भत्ते :–**

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन को अनुमान्य वेतन और भत्ता के संबंध में विभागीय संकल्प सं0–200, दिनांक–09.02.2008 निर्गत है। अनुमान्य वेतन और भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह स्वतः प्रभावी होगा।

(2) जहां एक राज्य निःशक्तता आयुक्त, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ऐसी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन की प्राप्ति में है, वह इनके अधीन स्वीकार्य वेतन नियमों को पेंशन की राशि से कम किया जाएगा, और यदि वह पेंशन के एक हिस्से के बदले में प्राप्त किया गया था, तो उसमें कम किए गए मूल्य, पेंशन की राशि घटाकर देय होगा अथवा इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर देय मानदेय राशि का निर्धारण किया जाएगा।

33. **राज्य निःशक्तता आयुक्त की सेवा के अन्य नियम और शर्तें** :– इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0–200, दिनांक–09.02.2008 निर्गत है। इसके अनुसार अंगीकृत सुविधाएँ अनुमान्य होगी अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह प्रभावी होगा।

34. **इस्तीफा और हटाया जाना :–**

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त, अपने हस्ताक्षर से, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, राज्य सरकार को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(2) राज्य सरकार राज्य निःशक्तता आयुक्त को अपने पद से हटा सकती है, यदि वह–

i) दिवालिया हो जाता है; या

ii) अपने कार्यालय के कार्यकाल के दौरान किसी भी वेतन वाले अन्य रोजगार या गतिविधि में खुद को संलग्न करता है; या

iii) किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है और एक अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या

iv) राज्य सरकार की राय में है, जो अधिनियम में दिये गये कार्यों के अनुसार मन या शरीर की दुर्बलता या उनके कार्यों के प्रदर्शन में गंभीर रूप से कार्यालय में जारी रखने के योग्य नहीं है; या

v) राज्य सरकार से अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त किए बिना, पंद्रह दिन या उससे अधिक की लगातार अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है; या

vi) राज्य सरकार की राय में राज्य निःशक्तता आयुक्त की स्थिति का दुरूपयोग करते हुए अपनी कार्यालय में दिव्यांगजनों के हितों के लिए हानिकारक, निरंतरता को प्रस्तुत करता है;

बशर्ते कि राज्य सरकार के समूह 'क' अधिकारी को हटाने के लिए लागू प्रक्रिया, के अलावा कोई भी राज्य निःशक्तता आयुक्त को इस नियम के तहत कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता।

(3) राज्य सरकार राज्य निःशक्तता आयुक्त को निलंबित कर सकती है, जिसके बारे में उप–नियम (2) के अनुसार निष्कासन की कार्यवाही कर सकती है।

35. **अवशिष्ट प्रावधान**– राज्य निःशक्तता आयुक्त की सेवा की अन्य शर्तों, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, को राज्य सरकार के सचिव के अनुरूप माना जायेगा। राज्य

निःशक्तता आयुक्त कार्यालय को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जायेगी, ताकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदत्त प्रावधानों का क्रियान्वयन हो सके।

36. राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा दिव्यांगजन के मामलों/शिकायतों का निपटारा :–

(क) एक शिकायतकर्ता व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा राज्य निःशक्तता आयुक्त को निम्नलिखित विवरणों को लेकर शिकायत कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा या राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन को संबोधित ईमेल द्वारा भेज सकता है :

i) शिकायतकर्ता का नाम, विवरण और पता;

ii)विरोधी पक्ष या पार्टियों का नाम, विवरण और पता, जैसा मामला हो, जहां तक उनका पता लगाया जा सकता है;

iii) शिकायत से संबंधित तथ्य कब और कहाँ उद्भूत हुआ;

iv) शिकायत में निहित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज;

v) राहत से संबंधित जो शिकायतकर्ता दावा करे

(ख) शिकायत प्राप्त होने पर राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन शिकायत की प्रतिलिपि को शिकायत में उल्लेखित पक्ष या पक्षों को तीस दिनों की अवधि के भीतर या 15 दिन के अवधि विस्तार, राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा प्रदान किया जा सकता है, मामले में अपना पक्ष देने के लिए निर्देशित करेगा।

(ग) सुनवाई की तिथि को पार्टियों या उनके प्रतिनिधि राज्य निःशक्तता आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे।

(घ) शिकायतकर्ता या उनके प्रतिनिधि राज्य निःशक्तता आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, राज्य निःशक्तता आयुक्त या तो शिकायत को पूर्ण रूप से खारिज कर सकते हैं अथवा गुण/शिकायत के प्रासंगिकता पर फैसला कर सकते हैं।

(ड़) विपरीत पक्ष या उसके प्रतिनिधि सुनवाई की दो तिथियों में अनुपस्थित रहता है, राज्य निःशक्तता आयुक्त अधिनियम की धारा–82 के तहत ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है जो कि उल्लिखित पक्ष की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने के लिए उपयुक्त समझता है।

37. राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन की सहायता करने के लिए सलाहकार समिति :–

(1) राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगी, अर्थात :–

(क) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पाँच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाँच विशेषज्ञ, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ख) अवरोध मुक्त वातावरण के क्षेत्र में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ :–

(i) भौतिक वातावरण में एक विशेषज्ञ ;

(ii) परिवहन प्रणालियों से एक विशेषज्ञ ; और

(iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्य सेवाएं या जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं के क्षेत्र में से एक विशेषज्ञ;

(ग) दिव्यांगजनों के नियोजन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ;

(घ) एक विधिक विशेषज्ञ; और

(ड़) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा किए गए सिफारिश के अनुसार एक विशेषज्ञ।

(2) राज्य निःशक्तता आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय–वस्तु या डोमेन विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेंगा।

38. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना :–

(क) राज्य निःशक्तता आयुक्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किन्तु आगामी वर्ष के 30 सितम्बर के पूर्व एक वार्षिक रिर्पोट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा जोखा दिया जायेगा।

(ख) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट विशेष रूप से फॉर्म में होगी ताकि अलग–अलग मामलों के विवरण अलग–अलग प्रमुखों के तहत प्रदान किए जा सकें जिसमें निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में जानकारी शामिल हो। अर्थात् :–

i) राज्य नि:शक्तता आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक सेट अप दिखाने वाला एक चार्ट;

ii) इस अधिनियम के तहत राज्य नि:शक्तता आयुक्त के कार्य और अधिकार और इस संबंध में प्रदर्शन के मुख्य आकर्षण ;

iii) राज्य नि:शक्तता आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें;

iv) राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति; तथा

v) राज्य नि:शक्तता आयुक्त द्वारा सम्मिलित किए जाने अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किसी भी अन्य उपयुक्त मामलें।

अध्याय– 10

दिव्यांगजन राज्य निधि

39. राज्य निधि का प्रबंध.– (1) राज्य निधि का प्रबंध करने के लिए एक शासी निकाय होगा, जो कि अधिनियम की धारा–86 के अनुरूप कार्य करेगी तथा जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, राज्य सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग–अध्यक्ष ;

(ii) राज्य नि:शक्तता आयुक्त, दिव्यांगजन/संबंधित नोडल विभाग–सदस्य ;

(iii) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, राज्य सरकार का महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग– सदस्य ;

(iv) राज्य सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग (स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तथा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग), श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, योजना–सह– वित्त–विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के दो प्रतिनिधि, जो संयुक्त–सचिव से पद से नीचे का न हो, वर्णानुक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम से– सदस्य ;

(v) राज्यसरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ठ किए जाने वाले दो व्यक्ति जो भिन्न–भिन्न किस्मों की निशक्तताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे– सदस्य ;

(vi) राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त–सचिव–संयोजक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी– सदस्य।

(vii) नोडल विभाग से, अन्य विभागों/संस्थानों से प्राप्त राशि, दान आदि इस कोष में जमा होंगे तथा इनके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान अपने CSR (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत भी राशि दे सकते है तथा राज्य के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिये कार्यरत अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं जो FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के माध्यम से अनुदान प्राप्त करते है वैसी संस्थाएं भी चार प्रतिशत तक राज्य कोष के लिये अंशदान दे सकती है। इस निधि के संचालन एवं व्यय से संबंधित कार्यवाही प्रशासी विभाग द्वारा समुचित निर्णय के उपरांत किया जाएगा।

40. राज्य निधि का उपयोग.– (क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि और दिव्यांगजन राज्य निधि के अधीन उपलब्ध रकम, मिलकर राज्य निधि बनेंगी।

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ठ दोनों निधियों के अधीन उपलब्ध सभी धन राज्य निधि को अंतरित हो जाएंगे।

(ग) निधि से संबंधित सभी धनों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसा कि शासी निकाय द्वारा राज्य सरकार के साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए विनिश्चय किया जाए।

(घ) निधि का विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा, जो शासकीय निकाय द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(ड़) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने, जो विनिर्दिष्ठ रूप से राज्य सरकार की किसी स्कीम और कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं या पर्याप्त रूप में राज्य सरकार की किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित है ;

(ii) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय, जिन्हें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है ; और

(च) व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष, उसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(छ) शासी निकाय, लेखापालों सहित अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यकता आधारित अपेक्षा के आधार पर निधि के प्रबंध और उपयोग की देखभाल करने के लिए उपयुक्त समझे।

41. बजट.– निधि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए निधि के अधीन व्यय उपगत करने के लिए बजट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में निधि की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और एसे शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

42. राज्य निधि का वार्षिक रिपोर्ट.–महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य निधि से संबंधित एक अध्याय सम्मिलित होगा।

अध्याय–11

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

43. आवेदन एवं पंजीकरण के प्रमाण पत्र :–

(क) अधिनियम की धारा 51 के तहत, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकार होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्था स्थापित करने या बनाए रखने के इच्छुक व्यक्ति अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित झारखण्ड सरकार के तहत निदेशक, समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को विहत प्रपत्र में आवेदन कर सकते है।

(ख) उप–नियम (क) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ–साथ इनको प्रस्तुत किया जाएगाः–

(i) दिव्यांगता के क्षेत्र में काम के दस्तावेज प्रमाण ;

(ii) संस्था का संविधान या संस्था का नियमावली की प्रति ;

(iii) लेखा परीक्षण ब्यूरो/अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से पहले, पिछले तीन वर्षो का प्राप्त अनुदानों के विवरण यदि अनुदानित नहीं है तो विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन ;

(iv) संस्थान में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या एवं उनके संबंधित कर्तव्यों के संबंध में जानकारी ;

(v) संस्थान द्वारा कर्मियों/पेशेवरों की योग्यता के बारे में विवरणी

(ग) उप नियम (ख) के तहत दिए गए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :–

(i) संस्था दिव्यांग व्यक्ति के क्षेत्र में आवेदन जमा करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से काम कर रही थी

(ii) यह संस्था भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के XXI) या राज्य के अधीन होने वाले किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत पंजीकृत है।

(iii) संस्था में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त शिक्षण और सीखने की सामग्री है ; तथा

(iv) संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन।

(घ) दिव्यांगता के क्षेत्र में नये पंजीकरण के लिये जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन पर निदेशक, समाज कल्याण की अनुशंसा की आलोक में विभाग के अनुमोदन से पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

तथा वैसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा अनुदानित/मान्यता प्राप्त हैं या भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन संस्थाओं का प्रमाण पत्र निदेशक द्वारा वांछित कागजात के सत्यापन के आधार पर विभागीय सचिव के अनुमोदन से निर्गत किया जायेगा।

(ड़) इस नियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र, जब तक अधिनियम की धारा 52 के तहत निरस्त नहीं किया गया, तब तक जारी रहेगा।

(च) पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए एक आवेदन उसी प्रकार से किया जाएगा, जैसा कि पंजीकरण के पिछले प्रमाणपत्र के साथ उप–नियम (क) एवं (ख) के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया गया था और आवेदक का प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

बशर्ते इस तरह के आवेदन ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति के साठ दिनों से पहले किए जाएंगे;

सक्षम प्राधिकारी 60 दिनों के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकता है, अगर वह संतुष्ट है कि इस तरह की विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिए गए है तो वह अधिकतम 120 दिनों तक प्राप्त ऐसे नवीनीकरण के आवेदन पर विचार कर सकेगा।

(छ) उप–नियम (1) या उप–नियम (5) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन, जिसमें अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है, और आवेदक ने प्रमाण पत्र स्वीकृति के लिए आवश्यकताएं अधिनियम के तहत पंजीकरण की और इन नियमों का अनुपालन किया गया है, नब्बे दिनों की अवधि में इसका निपटारा किया जाएगा।

अध्याय–12

अन्यान्य

44. राज्य सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिनियम 1995 के अंतर्गत 22 जनवरी 2004 को निर्गत अधिसूचना को इस नियमावली के अधिसूचित होते ही विलोपित समझा जायेगा।

प्रारूप–1

(नियोक्ता द्वारा विवरणी)

[देखिए नियम 13(1)]

..... को समाप्त छमाही के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाने वाली छमासिक विवरणी

नियोक्ता का नाम और पता .....

क्या– मुख्यालय .....

शाखा कार्यालय है .....

कारबार/मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति :.....

1 (क) रोजगार

सरकारी स्थापना के पे–रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत प्रोपाइटर/भागीदारी/कमीशन अभिकर्ता/आकस्मिक संदत्त और ठेका श्रमिक हैं, किंतु जिसमें अंशकालिक कर्मकार और प्रशिक्षु नहीं है। (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापना द्वारा किया जाता है)।

पूर्व छमाही के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर–अंधता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रिपोर्ट के अधीन छमाही के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर–अंधता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिव्यांगताग्रस्त पुरूष

दिव्यांगताग्रस्त महिला

योग .....

(क) यदि छमाही के दौरान वृद्धि या कमी पांच प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार में कमी या वृद्धि के मुख्य कारणों को उपदर्शित करें।

2. रिक्तियां:– रिक्तियां, जिनकी कुल परिलब्धियां प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार हैं और जो छह मास की अवधि से अधिक से है।

(क) छमाही के दौरान उदभूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा छमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या

(दिव्यांग पुरूष और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक् आंकड़े दिए जाएं)

रिक्तियों की संख्या, जो अधिनियम की परिधि में आती हैं

उद्भूत	अधिसूचित	भरी गई	स्त्रोत
			(उस स्त्रोत का वर्णन करें, जिससे भरी गई है।)
			स्थानीय/विशष रोजगार एक्सचेंज
			साधारण रोजगार एक्सचेंज

(ख) 2 (क) द्वारा रिपोर्ट के अधीन छमाही के दौरान उदभूत सभी रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण

.....

3. जनशक्ति की कमी

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/भरे नहीं गए पद

व्यवसाय या पद का नाम	भरी न गई रिक्तियां/पद (दिव्यांगता अनुसार)		
	अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अनुभव	अनुभव आवश्यक नहीं
1	2	3	4

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूची बद्ध करें, जिसके लिए सरकारी स्थापना ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

तिथि

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में

रोजगार एक्सचेंज

.....

.....

टिप्पण :– यह विवरणी 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त हुई छमाहियों के लिए है और इसे संबंधित छमाही के अंत के पश्चात् तीस दिन के भतर विशेष रोजगार एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा।

प्रारूप–2

(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)

देखिए नियम 13(1)

स्थानीय विशेष रोजगार एक्सचेंज के दो वर्षों में एक बार प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय विवरणी

नियोक्ता का नाम और पता .....

कारबार की प्रकृति .....

(कृपया वर्णन करें कि सरकारी स्थापना क्या बनाता है या उसका प्रधान कार्यकलाप क्या है)

1. सरकारी स्थापना के पे–रोल पर ..... विनिर्दिष्ट तिथि को व्यक्तियों की कुल संख्या, (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापना द्वारा किया जाता है) (दिव्यांग पुरूषों और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक आंकड़े दिए जाएं)।
2. उपर मद 1 में दिए गए सभी कर्मचारियों के व्यवसाय का वर्गीकरण (कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या नीचे पृथक्तः दें)।

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या		
सटीक अभिव्यक्ति का उपयोग करें	दिव्यांग पुरूष	दिव्यांग महिला	योग
जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) ; शिक्षक (घरेलु/विज्ञान) कार्य पर अधिकारी (बीमाकंक) ; सहायक निदेशक (धातुविज्ञान); वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ) ; अनुसंधान अधिकारी ; (अर्थशास्त्री) अनुदेशक (बढ़ई) ; पर्यवेक्षक (दर्जी) फिटर (आंतरिक दहन इंजन) ; निरीक्षक ; स्वच्छता), कार्यालय अधीक्षक प्रशिक्षु वैद्युत मिस्त्री)			कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों की संख्या दें, जिन्हें आपके द्वारा अगले कलैंडर वर्ष में सेवानिवृति के कारण भरा जाएगा।

तिथि ..... नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

रोजगार एक्सचेंज

(कृपया यहां अपने स्थानीय रोजगार एक्सचेंज का पता भरें)

टिप्पण : मद–2 के अधीन स्तंभ 5 का योग मद–1 के सामने दिए गए आंकड़ों के अनुरूप होना चाहिए।

प्रारूप–3

(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)

[देखिए नियम 14]

नियोक्ता का नाम और पता .....

क्या– मुख्यालय .....

शाखा कार्यालय .....

कारबार/मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति :.....

सरकारी स्थापना के पे–रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापना द्वारा किया जाता है)।

स्थापना के पे–रोल पर दिव्यांगजनों (दिव्यांगता–बार) की कुल संख्या (इन आंकड़ों में दिव्यांगताग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय स्थापना द्वारा किया जाता है)।

(क) सभी कर्मचारियों की व्यवसायिक अर्हता (नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या पृक्तक्तः दें)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या		
सटीक अभिव्यक्ति का उपयोग करें	दिव्यांग पुरूष	दिव्यांग महिला	योग
जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) ; शिक्षक (घरेलु/विज्ञान) कार्य पर अधिकारी (बीमाकंक) ; सहायक निदेशक (धातु विज्ञान); वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ) ; अनुसंधान अधिकारी ; (अर्थशास्त्री) अनुदेशक (बढ़ई) ;	———	———	कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों की संख्या दें, जिन्हें आपके द्वारा अगले कलैंडर वर्ष में सेवानिवृति के कारण भरा जाएगा।

(ख) यदि छमाही के दौरान वृद्धि या कमी पांच प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार में कमी या वुद्धि के मुख्य कारणों को उपदर्शित करें।

2. रिक्तियां:– रिक्तियां, जिनकी कुल परिलब्धियां प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार हैं और जो छह मास की अवधि से अधिक से है।

(क) छमाही के दौरान उद्भूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा छमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या (दिव्यांग पुरूष और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक् आंकड़े दिए जाए)

रिक्तियों की संख्या, जो अधिनियम की परिधि में आती हैं

उद्भूत	अधिसूचित	भरी गई	स्त्रोत
	स्थानीय विशेष	साधारण	उस स्त्रोत का
	रोजगार एक्सचेंज	नियोजन	वर्णन करें,
			जिससे भरी
			गई हैं।

(ग) (क)2 द्वारा रिपोर्ट के अधीन छमाही के दौरान उद्भूत सभी रिक्तियों को

(घ) अधिसूचित न करने के कारण .....

3. जनशक्ति की कमी

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/न भरे गए पद

व्यवसाय या पद का नाम	भरी न गई रिक्तियां/पद		
	अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अनुभव	अनुभव अपेक्षित नहीं हैं

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूची बद्ध करें, जिसके लिए सरकारी स्थापना ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

तिथि .....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप–4

(दिव्यांगजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन)

[नियम 17 (1) देखिए]

1. नाम ....

(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)

2. पिता का नाम ..... माता का नाम .....

3. जन्म की तिथि ...../...../.....

(तिथि) (मास) (वर्ष)

4. आवेदन की तिथि का आयु ..... वर्ष

5. लिंग : पुरूष/महिला/उभयचर

6. पता :

(क) स्थायी पता (ख) वर्तमान पता (पत्राचार आदि के लिए)

....

....

(ग) वर्तमान पते पर कब से रह रहे/रही हैं।

पता .....

7. शैक्षिक स्थिति (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
   - (i) स्नातकोत्तर
   - (ii) स्नातक
   - (iii) डिप्लोमा
   - (iv) हायर सैकण्डरी
   - (v) हाई स्कूल
   - (vi) मिडिल
   - (vii) प्राइमरी
   - (viii) अनपढ़

8. व्यवसाय .....
9. पहचान के चिन्ह (1) ..... (2).....
10. दिव्यांगता की प्रकृति :
11. अवधि जब से दिव्यांगता आई : जन्म/वर्ष से .....
12. (i) क्या आपने पूर्व में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए कभी आवेदन किया है – हां/नहीं
    (ii) यदि हां, तो ब्यौरे :
    - (क) किस प्राधिकारी को और किस जिले में आवेदन दिया गया .....
    - (ख) आवेदन का परिणाम .....

13. क्या पूर्व में आपको कोई दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रति संलग्न करें।

घोषणाः घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त कथित सभी विशिष्टयां मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी तात्विक जानकारी छपाई या मिथ्या कथन नहीं बताई गई है। मैं आगे यह भी कथन करता हूं कि यदि आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो मैं लिए गए किसी भी प्रकार के लाभ समपहरण और विधि के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए उतरदायी होऊंगा/होऊंगी।

.....

दिव्यांग व्यक्ति या मानसिक मंदता, ऑटिज्म

प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु निःशक्तता में

उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षरी या

बाएं अंगूठे का निशान

तिथि :

स्थान :

संलग्न :

1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
   (क) राशन कार्ड
   (ख) मतदाता पहचान पत्र
   (ग) ड्राइविंग लाइसेंस
   (घ) बैंक पासबुक
   (ड़) पैन कार्ड
   (च) पासपोर्ट
   (छ) आवेदक के पते को उपदर्शित करता टेलीफोन, बिजली, पानी और कोई अन्य उपयोगिता संबंधी बिल
   (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र
   (झ) दिव्यांग व्यक्ति, निराश्रित, मानसिक रूग्ण इत्यादि के लिए आवासीय संस्था के वासी की दशा में, ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास का प्रमाणपत्र
2. दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो

.....

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तिथि :

स्थान :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

प्रारूपा–5

(अंगोच्छेदन या अंगों की पूर्ण स्थाई अंगघात, बौनापन और अंधापन की दशा में)

[नियम 18 (1) दृष्टव्य]

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री ..... जन्म की तिथि ..... आयु ..... वर्ष, पुरूष/ महिला..... रिजस्ट्रेशन नं0 .....
मकान नं0 ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर .....
जिला ..... राज्य ..... का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि :–

(क) यह मामला

- चलन संबंधी दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीन का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर ठीक का निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान ..... है।

(ग) उन्हे मार्गदर्शक सिद्धांतों (..... मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थापनाा ..... % (अंक में) .....
. प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई चलन दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता है।

2... आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

दस्तावेत की प्रकृति	जारी होने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी होना है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के

प्राधिकृत हस्ताक्षर और मुहर)

प्रारूप–6

प्रमाणपत्र

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता की दशा में)

[नियम 18 (1) देखिए]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल हीं का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री ..... जन्म की तिथि ..... आयु ..... वर्ष, पुरूष/ महिला..... रिजस्ट्रेशन नं0 ..... मकान नं0 ..... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि :–

(क) यह मामला ***बहु दिव्यांगता*** के लिए है। उनकी स्थाई शारीरिक क्षति/दिव्यांगता को निम्नलिखित दिव्यांगताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जान है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	दिव्यांगता	शरीर का प्रभवित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक दिव्यांगता/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशिय दुर्विकास			
3	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4	बौनापन			
5	प्रमस्तिष्क घात			
6	अम्ल हमले की पीड़ित			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	श्रवण क्षति	£		
10	सुनने में कठिनाई	£		
11	वाक और भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			

14	ऑटिज्म स्पेथ्ट्रम डिसऑर्डर			
15	मानसिक रूग्णता			
16	क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति			
17	बहुल काठिन्य			
18	पार्किन्सन रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के उद्देनजर उनकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धांतों (..... मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इस प्राकर हैं:–

अंकों में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. यह स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील/इसमें सुधार होने की संभावना/सुधर न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुर्नमूल्यांकन
   (i) आवश्यक नहीं है,
   या
   (ii) ..... वर्ष ..... मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... तक ..... विधिमान्य रहेगा।
   (तिथि) (मास) (वर्ष)

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

अर्थात् एक आँख/दोनों आँख

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

दस्तावेत की प्रकृति	जारी होने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया।

प्रारूप–7

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(प्रारूप 5 और 6 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

[नियम 18 (1) दृष्टव्य]

दिव्यांग व्यक्ति का हाल हीं का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री थी ..... जन्म की तिथि ..... आयु ..... वर्ष, पुरूष/ महिला..... रिजस्ट्रेशन नं0 ..... मकान नं0 .... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला .... राज्य ..... का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि यह ..... दिव्यांगता का मामला है। इसकी शारीरिक क्षति/दिव्यांगता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार (..... मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट किया जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है :–

क्र0 सं0	दिव्यांगता	शरीर का प्रभवित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक दिव्यांगता/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता			
2	मांसपेशिय दुर्विकास			
3	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4	प्रमस्तिष्क घात			
5	अम्ल हमले की पीड़ित			
6	कम दृष्टि			
7	बधिर			
8	श्रवण क्षति			
9	वाक और भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
12	ऑटिज्म स्पेथ्ट्रम डिसऑर्डर			
13	मानसिक रूग्णता			
14	क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति			
15	बहुल काठिन्य			
16	पार्किन्सन रोग			
17	हीमोफीलिया			

18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

जो लागू न हो उसे काट दें।

2. यह स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील/इसमें सुधार होने की संभावना/सुधर न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुर्नमूल्यांकन की :–
   (i) आवश्यकता नहीं है,
   या
   (ii) ..... वर्ष ..... मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए प्रमाणपत्र तिथि ..... मास ..... वर्ष..... तक विधिमान्य रहेगा।

(तिथि) (मास) (वर्ष)

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

अर्थात् एक आँख/दोनों आँख

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए है :–

दस्तावेत की प्रकृति	जारी होने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम और मोहर)

प्रति हस्ताक्षर

(चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवक नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाणपत्र की दशा में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर और मोहर)

टिप्पणीः यदि यह प्रमाण पत्र चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवा में नहीं है, के द्वारा जारी किया जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

प्रारूप–8

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की सूचना)

[नियम 18 (4) देखिए]

संख्या ..... तिथि.....

सेवा में,

(दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए

आवेदक का नाम और पता)

विषय : दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आवेदन का अस्वीकार किया जाना

महोदय/महोदया,

कृपया तिथि के निम्नलिखित दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के आवेदन का संदर्भ लें :

.....

2. पूर्वोक्त आवेदन के अनुसरण में आपकी निम्नलिखित हस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ..... को जाँच की गई और मुझे यह सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि नीचे दिए गए कारणों से आपके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं है :

(i)

(ii)

(iii)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से व्यथित हैं तो आप इस विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध करने के लिए ..... को अभ्यावेदन दे सकते हैं।

भवदीय,

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम और मोहर)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

23/4/18

(विनय कुमार चौबे)
सचिव,
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 03/म0स0/RPWD Act-308/2017- 1204 राँची, दिनांक : 23·04· 2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 03/म0स0/RPWD Act-308/2017- 1204 राँची, दिनांक : 23·04·2018

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय झारखण्ड, राँची को राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशिक करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसुचना की 50 प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

23/04/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 03/म0स0/RPWD Act-308/2017- 1204 राँची, दिनांक : 23·04· 2018

प्रतिलिपि :– माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यसचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण संस्था, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/ परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य महिला आयोग/ सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 03/म0स0/RPWD Act-308/2017- 1204 राँची, दिनांक : 23·04· 2018

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/18

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव